व्यापार, निवेश, तकनीक के खुलेंगे रास्ते

नई दिल्ली, 27 जनवरी. भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) मुक्त व्यापार (एफटीए) समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद इसे ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है.

16वें शिखर सम्मेलन के संयुक्त बयान में व्यापार, निवेश, तकनीक, सप्लाई चेन, रक्षा और आतंकवाद-रोधी सहयोग मजबूत करने पर सहमति बनी. भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता होते ही भारतीय शेयर बाजार में उछाल देखा गया. एफटीए से श्रम-आधारित उद्योगों को जीरो ड्यूटी लाभ मिलेगा. यूरोपीय परिषद अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ जारी संयुक्त बयान में नेताओं ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, तकनीक और सप्लाई चेन सहयोग के नए रास्ते खोलेगा. भारत-ईयू एफटीए का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समझौता केवल एक ट्रेड डील नहीं, बल्कि साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है. उन्होंने कहा कि इससे किसानों और छोटे उद्योगों के लिए यूरोपीय बाजार तक पहुंच आसान होगी, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा.

भारत में खुलेगा ईयू का पहला लीगल गेटवे ऑफिस

ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन ने कहा है कि भारत में ईयू का पहला लीगल गेटवे ऑफिस खोला जा रहा है. यह ऑफिस उन भारतीय युवाओं और प्रोफेशनल्स की मदद करेगा, जो यूरोप जाकर पढ़ना, काम करना या बसना चाहते हैं.

जीरो ड्यूटी का रास्ता साफ : भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) ने भारतीय निर्यात के लिए जीरो ड्यूटी का रास्ता साफ कर दिया है. इस समझौते से टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर, जेम्स एवं ज्वैलरी जैसे श्रम-आधारित उद्योगों को 27 यूरोपीय देशों के विशाल बाजार में बिना शुल्क प्रवेश मिलेगा. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, इससे रोजगार सृजन, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और निर्यात में तेज बढ़ोतरी होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे साझा समृद्धि का ब्लूप्रिंट बताया, जो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, कारीगरों और छोटे उद्योगों के लिए नए अवसर खोलेगा. तथा भारत की वैश्विक व्यापारिक स्थिति को मजबूत करेगा.

रिश्ते लगातार मजबूत

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि इंडिया-ईयू बिजनेस फोरम में दोनों पक्षों के 100 से अधिक सीईओ शामिल हुए. पिछले एक दशक में भारत और यूरोपीय संघ के रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं. मिस्री ने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में भारत-ईयू रणनीतिक साझेदारी सिर्फ द्विपक्षीय नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण हो गई है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था, तकनीक और रणनीतिक संतुलन तेजी से बदल रहा है. पीएम मोदी, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने भारत- ईयू फ्री-ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता के समापन की घोषणा की. इस दौरान कई अहम दस्तावेजों का आदान-प्रदान हुआ. इस पर यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष काजा कलास और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने हस्ताक्षर किए.

तमिलनाडु में डूबने से तीन किशोरों की मौत

चेन्नई, 27 जनवरी. तमिलनाडु के दक्षिणी तटीय थूथुकुडी जिले के माप्पिलैयुरानी गांव में समुद्र में नहाते समय तीन किशोर छात्रों की डूबने से मौत हो गयी. मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मंगलवार को उनकी मौत पर शोक व्यक्त किया और उनके परिवारों को तीन-तीन लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की. पुलिस सूत्रों ने कहा कि सोमवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी होने के कारण छात्र थिरुमणि (13), नरेन श्री कार्तिक (12) और मुगेंद्रन (12) सिलुवैपत्ती मोट्टई गोपुरम समुद्र तट पर आये और स्नान करने के लिए पानी में उतरे. तीनों समुद्री लहरों में बह गये.

मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड

motilal oswal Home Finance

कॉर्पोरेट कार्यालय: मोतीलाल ओसवाल टावर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, एसटी डिपो के सामने, प्रभादेवी, मुंबई-400025. ईमेल: hfquery@motilaloswal.com. सीआईएन संख्या: U65923MH2013PLC248741

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु 15 दिनों की ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के साथ। एतद्वारा आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ताओं/गारंटियों/बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के पास गिरवी रखी गई निम्नलिखित संपत्ति को "जैसी है जहाँ है", "जैसी है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर "ऑनलाइन ई-नीलामी" के माध्यम से बेचा जाएगा। बकाया राशि और अतिरिक्त ब्याज, शुल्क और लागत आदि की वसूली के लिए, जैसा कि नीचे रअफ्क्रअएरकअधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पढ़ा गया है। www.motilaloswalhf.com" नीचे दिए गए विवरण के अनुसार:

ई-नीलामी की तिथि और समय: 19-02-2026 / सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक (प्रत्येक 15 मिनट के लिए असीमित विस्तार के साथ)

स. क्र.	उधारकर्ता/गारंटर/ ऋण खाता	मांग सूचना की तिथि और राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य, ईएमडी और ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि
1	लैनः LXIND00214-150002930 शाखाः इंदौर, उधारकर्ताः दिलीप कुमार जगदीश भावसर सह-उधारकर्ताः रंजना दिलीप कुमार भावसार	09-05-2025 रू. 497673/- (चार लाख सत्तानवे हजार छह सौ तिहत्तर मात्र)	फ़्लैट नं.117 प्रथम तल सुपर निर्मित ऊपर क्षेत्र 378 वर्ग फीट सिद्धि ऐप। राजकमल रेजीडेंसी एबी रोड खसरा नंबर 35/3/1 नैनोद इंदौर 401207 मध्य प्रदेश	आरक्षित मूल्यः रू. 528461/- (पॉच लाख अठ्ठाईस हजार चार सौ ईकसठ मात्र) ईएमडीः रू. 52846/- (बावन हजार आठ सौ छयालीस मात्र) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 18-02-2026
2	लैनः LXIND00316-170023096 शाखाः इंदौर, उधारकर्ताः जीतेन्द्र सीताराम यादव, सह-उधारकर्ताः बबीता बाई जीतेन्द्र यादव	12-10-2023 रू. 936171/- (नौ लाख छत्तीस हजार एक सौ इकत्तर मात्र)	मकान नंबर 157/4, बाणगंगा, गली नंबर 2, इंदौर, मध्य प्रदेश 452001	आरक्षित मूल्यः रू. 700000/- (सात लाख मात्र) ईएमडीः रू. 70000/- (सत्तर हजार रमात्र) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 18-02-2026
3	लैनः LXPIT00116-170034674 शाखाः पीथमपुर, उधारकर्ताः प्रेमलाल गोपाल प्रसाद आथ्या सह-उधारकर्ताः गोपाल प्रसाद महादेव प्रसाद चादर	08-04-2025 रू. 683741/- (छह लाख तेरासी हजार सात सौ ईकतालीस मात्र)	प्लॉट संख्या बी-20, क्षेत्रफल 300 वर्ग फुट रॉयल स्टेट्स, महूगाँव महू, इंदौर, मध्य प्रदेश 453441	आरक्षित मूल्यः रू. 400000/- (चार लाख रुपये मात्र) ईएमडीः रू. 40000/- (चालीस हजार रुपये मात्र) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 18-02-2026
4	लैनः LXUJJ00316-170044325 शाखाः उज्जैन, उधारकर्ताः मुंशी नत्थे खान, सह-उधारकर्ताः वाहिदान मुंशी खान गारंटरः शंकर लाल सुलानिया	02-09-2024 रू. 570238/- (पांच लाख सत्तर हजार दो सौ और अड़तीस मात्र)	क्रमांक 789/3/न्यूनतम भाग 800 वर्ग फीट ग्राम का माप कणाद ठ.आगर 0 0 465230 कागजनगर उज्जैन मध्य प्रदेश	आरक्षित मूल्यः रू. 710199/- (सात लाख दस हजार एक सौ निन्यानवे मात्र) ईएमडीः रू. 71020/- (इकहत्तर हजार बीस मात्र) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 18-02-2026
5	लैनः LXUJJ00316-170049185 शाखाः उज्जैन ऋणकर्ताः असलम खान सह-ऋणकर्ताः हसीना बी	11-07-2024 रू. 379489/- (तीन लाख उन्यासी हजार चार सौ नवासी मात्र)	प्लॉट नं 25वार्ड नं04खटीकपुरा, जावरा - जिला-रतलाम (म.प्र.),457226	आरक्षित मूल्यः रू. 500000/- (पांच लाख रुपये मात्र) ईएमडीः रू. 50000/- (पचास हजार रुपये मात्र) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 18-02-2026
6	लैनः LXDEW00417-180057657 शाखाः देवास उधारकर्ताः विशाल धर्मेंद्र परमार सह-उधारकर्ताः आकाश धर्मेंद्र परमार	06-01-2025 रू. 476317/- (चार लाख छिहत्तर हजार तीन सौ सत्रह मात्र)	प्लॉट नंबर 02 वार्ड नंबर 26 सर्वे क्रमांक 179/2 ग्राम मूलीखेड़ी तह. & जिला. शाजापुर 465001 शाजापुर देवास मध्य प्रदेश	आरक्षित मूल्यः रू. 500000/- (पांच लाख रुपये मात्र) ईएमडीः रू. 50000/- (पचास हजार रुपये मात्र) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 18-02-2026
7	लैनः LXPIT00117-180062164 शाखाः पीथमपुर उधारकर्ताः प्रमिला अखंड सह-उधारकर्ताः रोहित अखंड	09-05-2025 रू. 239819/- (दो लाख उनचालीस हजार आठ सौ उन्नीस मात्र)	प्लॉट नंबर बी-12 भूमि क्र.सं. 193/2/2 199/2 कुल रकबा हेक्टर 0.259 कुल 0.96 ग्राम-खलखुर्द पीएच नं.-03। तह-कसरावद जिला-खरगोन। 451660 इंदौर मध्य प्रदेश	आरक्षित मूल्यः रू. 150000/- (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) ईएमडीः रू. 15000/- (पंद्रह हजार रुपये मात्र) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 18-02-2026
8	लैनः LXIND00214-150003411 शाखाः इंदौर ऋणकर्ताः रामकिशन सोलंकी सह-ऋणकर्ताः मंगलेश्वरी सोलंकी	22-02-2024 रू. 722828/- (सात लाख बाईस हजार आठ सौ अट्ठाईस मात्र)	19 शताब्दीपुरम में घर कोदरिया महू इंदौर मध्य प्रदेश 451151	आरक्षित मूल्यः रू. 100000/- (दस लाख रुपये मात्र) ईएमडीः रू. 100000/- (एक लाख रुपये मात्र) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 18-02-2026
9	लैनः LXUJJ00316-170024128 शाखाः उज्जैन, उधारकर्ताः गोकुल प्रसाद भुवनजी प्रजापति सह-उधारकर्ताः माया बाई गोकुल प्रजापाई	26-08-2019 475136/- (चार लाख पिचहत्तर हजार एक सौ छत्तीस मात्र)	एच एन. एलआईजी 53, इंदिरा नगर, आगर मालवा, नये पुल के सामने, शाजापुर, मध्य प्रदेश - 465441	आरक्षित मूल्यः रू. 525397/- (पॉच लाख पच्चीस हजार तीन सौ सत्तानवे रुपये मात्र) ईएमडीः रू. 52540/- (बावन हजार पाँच सौ चालीस रुपये मात्र) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 18-02-2026
10	लैनः LXKHA00416-170031381 शाखाः खरगोन उधारकर्ताः रतन चौहान सह-उधारकर्ताः सुमन चौहान	24-01-2020 रू. 868840/- (आठ लाख अड़सठ हजार आठ सौ चालीस मात्र)	वार्ड नंबर 18, मकान नंबर-176, चरण मोहल, सेंधवा, बड़वानी, मध्य प्रदेश - 451666	आरक्षित मूल्यः रू. 800000/- (आठ लाख रुपये मात्र) ईएमडीः रू. 80000/- (अस्सी हजार रुपये मात्र) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 18-02-2026
11	लैनः LXUJJ00216-170032221 शाखाः उज्जैन, उधारकर्ताः जीतेन्द्र शेषनारायण मालवीय सह-उधारकर्ताः रेखा जितेंद्र मालवीय	26-08-2019 रू. 470969/- (चार लाख सत्तर हजार नौ सौ उनत्तर मात्र)	सर्वेक्षण संख्या 799/2/1 मी-3, पैट एच.नं. 51, ग्राम घटिया, उज्जैन, मध्य प्रदेश - 456001	आरक्षित मूल्यः रू. 800000/- (आठ लाख रुपये मात्र) ईएमडीः रू. 80000/- (अस्सी हजार रुपये मात्र) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 18-02-2026
12	लैनः LXUJJ00516-170044328 शाखाः उज्जैन उधारकर्ताः महेश कुमार बद्रीलाल प्रजापति सह-उधारकर्ताः निर्मला महेश प्रजापति	08-04-2025 रू. 490114/- (चार लाख नब्बे हजार एक सौ चौदह मात्र)	सर्वे क्रमांक 1331/2 भाग वार्ड क्रमांक 28 रकबा 0.0091/4 हेक्टर आई.ई., 92.96 वर्गमीटर. सरस्वती के पीछे शिशु मंदिर स्कूल के पास सिद्धार्थ नगर कॉलोनी जिला शाजापुर 465001 उज्जैन म.प्र.	आरक्षित मूल्यः रू. 515780/- (पॉच लाख पन्द्रह हजार सात सौ अस्सी मात्र) ईएमडीः रू. 51578/- (ईकयावन हजार पॉच सौ अठत्तर मात्र) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 18-02-2026
13	लैनः LXDEW00116-170039507 शाखाः देवास उधारकर्ताः प्रभुलाल गंगाराम चौधरी सह-उधारकर्ताः कपिल प्रभुलाल चोधरी	23-06-2021 रू. 1143977/- (ग्यारह लाख तैंतालीस हजार नौ सौ सत्तर मात्र)	मकान नंबर - 12 नया (पुराना - 38), वार्ड नं- 15, गली नं- 02 पुराना (नया-03), शांतिपुरा मोहल्ला, माता मंदिर, देवास, मध्य प्रदेश - 455001	आरक्षित मूल्यः रू. 1036712/- (दस लाख छत्तीस हजार सात सौ बारह रुपये मात्र) ईएमडीः रू. 103671/- (एक लाख तीन हजार छह सौ इकहत्तर रुपये मात्र) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 18-02-2026
14	लैनः LXUJJ00316-170044084 शाखाः उज्जैन ऋणकर्ताः तेज स्वरूप सिंह सह-ऋणकर्ताः ललिता तेज सिंह	30-01-2024 रू. 564863/- (पांच लाख चौंसठ हजार आठ सौ तिरेसठ मात्र)	वार्ड नंबर 28, मकान नंबर 44, इकबालगंज, जावरा, उज्जैन, मध्य प्रदेश 457226	आरक्षित मूल्यः रू. 811940/- (आठ लाख ग्यारह हजार नौ सौ चालीस मात्र) ईएमडीः रू. 81194/- (इक्यासी हजार एक सौ नब्बे चार रुपये मात्र) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 18-02-2026
15	लैनः LXIND00316-170050709 शाखाः इंदौर उधारकर्ताः सुनील अशोक बाकड़े सह-उधारकर्ताः नेहा सुनील बाकड़े गारंटरः कैलाश मूलचंद पारेका	05-12-2024 रू. 1031059/- (दस लाख इकतीस हजार उनसठ मात्र)	प्लॉट संख्या 293, गली संख्या 10, योजना संख्या 54, मेघदूत नगर, मुख्य सड़क, इंदौर 452001 पर स्थित मकान मध्य प्रदेश	आरक्षित मूल्यः रू. 1100000/- (ग्यारह लाख रुपये मात्र) ईएमडीः रू. 110000/- (एक लाख दस हजार रुपये मात्र) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 18-02-2026
16	लैनः LXIND00317-180054366 शाखाः इंदौर ऋणकर्ताः मुकेश खंडेल सह-ऋणकर्ताः अन्नपूर्णा खंडेल	07-10-2024 रू. 184310/- (एक लाख चौरासी हजार तीन सौ दस मात्र)	सर्वे क्रमांक 117/1/2, 117/1/1/, प्लॉट नंबर 263-बी ओम साईं विहार कॉलोनी तसील एवं जिला-इंदौर 0 0 बदियाकीमा 452001 इंदौर मध्य प्रदेश	आरक्षित मूल्यः रू. 200000/- (दो लाख मात्र) ईएमडीः रू. 20000/- (बीस हजार मात्र) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 18-02-2026
17	लैनः LXDEW00317-180060448 शाखाः देवास, उधारकर्ताः हमीद उल्लाह खान, सह-उधारकर्ताः फिरोजा बी हामिद, उल्लाह खान, गारंटरः अक्षित संतोष झावर	25-07-2024 रू. 1662936/- (सोलह लाख बासठ हजार नौ सौ छत्तीस मात्र)	म.नं. 275 वार्ड क्रमांक 9 शीतला माता मंदिर रोड काजीपुरा आष्टा सीहोर 0 0 466116 सीहोर देवास मध्य प्रदेश	आरक्षित मूल्यः रू. 1500000/- (पंद्रह लाख रुपये मात्र) ईएमडीः रू. 150000/- (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 18-02-2026
18	लैनः LXUJJ00317-180057935 शाखाः उज्जैनए उधारकर्ताः राजेश कुमार राठौड़, सह-उधारकर्ताः भगवंती शंकर बाई, पत्नि शंकर लाल गारंटरःभूपेंद्र राजेंद्र शर्मा	27-05-2024 रू. 1035263/- (दस लाख पैंतीस हजार दो सौ तिरेसठ मात्र)	भूमि क्र.सं. 985 एडमजी 69.65 वर्ग मीटर, पचलाना रोड, कस्बाकनाड नं. सब्जी मंडी आगर मालवा 0 0 465230 कागजनगर उज्जैन मध्य प्रदेश	आरक्षित मूल्यः रू. 400000/- (चार लाख रुपये मात्र) ईएमडीः रू. 40000/- (चालीस हजार रुपये मात्र) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 18-02-2026
19	लैनः LXDEW00316-170038718 शाखाः प्रधान कार्यालय उधारकर्ताः राजेश हरि जाट सह-उधारकर्ताः संगीता बाई राजेश जाट	05-12-2024 , रू. 714975/- (सात लाख चौदह हजार नौ सौ पिचहत्तर मात्र)	प्लॉट नंबर 153 खसरा नंबर 466/1/4, मां वाष्णवी नगर इंदौर रोड सतवास तहसील सतवास जिला-देवास 455459 मध्य प्रदेश	आरक्षित मूल्यः 800000/- (आठ लाख रुपये मात्र) ईएमडीः 80000/- (अस्सी हजार रुपये मात्र) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 18-02-2026

नियम एवं शर्ते 1. नीलामी बोली दस्तावेज के आगे दिए गए नियमों एवं शर्तों और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाएगी। बोली लगाने वाले बोली संबंधी जानकारी और सहायता, ई-नीलामी के लिए रखी गई संपत्ति का विवरण और ऑनलाइन जमा किए जाने वाले बोली प्रपत्र के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता, मेसर्स एआरसीए ईमार्ट प्राइवेट लिमिटेड के वेब पोर्टलः https://www.auctionbazaar.com/ पर जा सकते हैं। इच्छुक खरीदार उसी पोर्टल पर नीलामी के नियम और शर्तें और प्रक्रिया देख सकते हैं और मनीषकुमार यादव- 9826473666, प्रशांत पांडे से संपर्क कर सकते हैं। - 8819922304, भूपेन्द्र खीची - 9372704781, गिर्राज यादव - 9074840399, मुकेश धाकड़ - 9372704710, रवीन्द्र सोनी - 9589328548, रोहित चौहान - 9575511158, शशिकांत चतुर्वेदी - 9372704712, योगेश मधोरिया - 9630866533 विवरण उपरोक्त वेब पोर्टल पर उपलब्ध हैं और उनके केंद्रीकृत सहायता डेस्क से संपर्क कर सकते हैं: +91 83709 69696, ई-मेल आईडीः contact@auctionbazaar.com.

अनुवाद में त्रुटिया विसंगति होने पर अंग्रजी संस्करण मान्य होगा

एसडी-

स्थानः मध्य प्रदेश
दिनांकः 28.01.2026

प्राधिकृत अधिकारी, मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (पहले एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड

Chola Enter a better life

कॉर्पोरेट कार्यालयः चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी54 और सी55, 4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिण्डी, चेन्नई-600032

कब्जा नोटिस (नियम 8 (1) (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी, मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत, जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा, और धारा 13 [2] के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित [प्रवर्तन] नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ा जाए, उधारकर्ताओं को, जिनके नाम नीचे कॉलम [बी] में दर्शाए गए हैं, कॉलम [सी] में निर्दिष्ट तिथियों पर मांग नोटिस जारी किए हैं, ताकि वे उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नीचे कॉलम [डी] में दर्शाई गई बकाया राशि ब्याज सहित चुका सकें।
ऋणकर्ता/सह-ऋणकताओं द्वारा राशि का भुगतान न कर पाने के कारण, ऋणकर्ता/सह-ऋणकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) और सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने 23 जनवरी 2026 को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।
ऋणकर्ता/सह-ऋणकताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है।
ऋणकताओं को विशेष रूप से और आम जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे नीचे कॉलम [ए] में उल्लिखित संपत्तियों से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और ऐसा कोई भी लेन-देन मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, जिसकी राशि कॉलम [ज] में उल्लिखित है और उस पर ब्याज भी लगेगा।

स. क्र.	उधारकर्ता का नाम और पता और ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	अचल संपत्ति का विवरण	कब्जा करने की तिथि
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)
1.	TL01IND0000061242 1. मैसर्स. नायक कंस्ट्रक्शन 2. श्री गुलाब नायक 3. श्री हुकुम 4. श्रीमती तोताबाई 5. श्री सुकराम नायक	15.10.2025	रू. 48,63,072/- दिनांक 05.10.2025 को ब्याज सहित।	सर्वे संख्या 351, ग्राम बंजारापुरा, तहसील धरमपुरी, जिला धार, मध्य प्रदेश में स्थित मकान की संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और भाग, जिसका कुल क्षेत्रफल 7620.00 वर्ग फुट (708.178 वर्ग मीटर) है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः सुक्रमनायक की भूमि, पश्चिमः सुक्रमनायक की शेष भूमि, उत्तरः मानसिंह की भूमि, दक्षिणः मुन्ना की भूमि और मंदिर की भूमि, फिर सड़क।	23.01.2026

दिनांकः 28.01.2026
स्थानः चैन्नई

प्राधिकृत अधिकारी
चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड

झांकी में दिखी संघर्ष की झलक

केजरीवाल ने की पंजाब की झांकी की सराहना

स्वतंत्रता के लिए दिए गए बलिदान को दर्शाया गया.

नई दिल्ली, 27 जनवरी. गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर निकली पंजाब की झांकी ने देशभर का ध्यान खींचा.

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस झांकी की सराहना करते हुए इसे श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के सर्वोच्च बलिदान और मानवता के संदेश का प्रभावी प्रतीक बताया.

उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से यह प्रतिक्रिया साझा की. गणतंत्र दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय परेड में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों के माध्यम से देश की सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक विरासत को प्रस्तुत किया गया. इसी क्रम में पंजाब की झांकी में नौवें सिख गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के जीवन, त्याग और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए दिए गए बलिदान को दर्शाया गया.

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम **प्रतिक्षा राहुल शर्मा** था जो अब परिवर्तित कर **प्रतिक्षा शर्मा हो** गया है, अब भविष्य में मुझे **प्रतिक्षा शर्मा** नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

प्रतिक्षा शर्मा
349 गांधीनगर इन्दौर
मो.-70400-32377

कार्यालय नगरपालिका परिषद सारनी, जिला बैतूल म .प्र .

Email: cmosarni@mpurban.gov.in, Fax / Phone : 07146-256400
क्र नपा/लो.नि.वि./2026/1785 सारनी, दिनांक 23/01/2026

//द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना//

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में शासन के उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार से ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट http://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता हैं।

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1	2026_UAD_477899_1	Water body Rejuvenation Works of at ward no. 13 Chhat Ghat Amrut 2.0 Scheme at Sarni.	12 माह (वर्षाकाल सहित) 15209000.00	12500.00 76045.00	11-02-2026

नोट :- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन http://mptenders.gov.in की वेबसाईट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार में प्रकाशन नही किया जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद सारनी

इचलकरंजी महानगरपालिका, इचलकरंजी

ता. हातकणंगले जि. कोल्हापूर

जाहीर फेर ई निविदा सूचना क्र. ९/२०२५-२०२६

इचलकरंजी महानगरपालिका स्वच्छ भारत अभियान २.० अंतर्गत कचरा डेपो येथे ओल्या व सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया क्षमता वाढविणेसाठी मशिनरी खरेदी करणे व शेड बांधणेच्या कामांची जाहीर फेर ई निविदा क्रं. ९/२०२५-२६ www.mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर दि. २८/१/२०२६ रोजी स. ११.०० वाजले पासून प्रसिध्द करणेत येत आहे. सविस्तर जाहिरात www.mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सही/-
उपायुक्त

कार्यालय कलेक्टर (जनजातिय कार्य विभाग) जिला झाबुआ (म. प्र.)

क्रमांक/1262/निर्माण / 2025-26 / 495 झाबुआ, दिनांक 21.01.2026

:: द्वितीय संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना ::

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से लोक निर्माण विभाग में उचित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से भवन निर्माण हेतु प्रमुख अभियंता (भवन), लोक निर्माण विभाग, भोपाल द्वारा जारी भवन एवं विद्युत कार्य हेतु एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2024 से प्रभावशील एवं आज दिनांक तक के संशोधनों सहित विभागीय संस्थाओं में विभिन्न मदों में प्राप्त आवंटन से नवीन लघुनिर्माण / मरम्मत/ संधारण कार्यो की ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत शर्ते निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारियां www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है।

विभागीय संस्थाओं में आवश्यक संधारण मरम्मत एवं नवीन लघुमूल निर्माण कार्य विवरण, परिशिष्ट

क्र.	पोर्टल क्रमांक	कार्य का नाम	ठेके की अनुमानित राशि (लाखों में)	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि
1	2	3	5	6	6	8
		ग्रुप-1				
1	2026_TAD_477280_1	विकास खण्ड झाबुआ अन्तर्गत महाविद्यालयीन छात्रावासों नवीन लघुनिर्माण / मरम्मत / संधारण कार्य	35.17	50000	5000	31-मार्च 2026 तक
		ग्रुप-3				
2	2026_TAD_477281_1	विकास खण्ड थांदला अन्तर्गत सीनियर छात्रावासों नवीन लघुनिर्माण / मरम्मत / संधारण कार्य	21.54	43080	5000	31-मार्च 2026 तक
		ग्रुप-5				
3	2026_TAD_477282_1	विकास खण्ड झाबुआ अन्तर्गत परिसम्पत्ति मद से विभिन्न विभागीय संस्थाओं में लघुनिर्माण / मरम्मत/ संधारण कार्य	72.03	72030	10000	31-मार्च 2026 तक
		ग्रुप-12				
4	2026_TAD_477289_1	विकास खण्ड रामा अन्तर्गत उमावि. / हाईस्कूल संस्थाओं में लघुनिर्माण / मरम्मत/ संधारण कार्य	77.88	77880	10000	31-मार्च 2026 तक

नोट :-

- उक्त 4 - समूहवार लगाई गई संक्षिप्त निविदा (शॉर्ट टेण्डर वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर होने से) - जोनल निविदा होकर निविदाकार द्वारा प्रस्तुत की गई न्यूनतम दर 31-मार्च 2026 तक वेध रहेगी एवं विभाग के पास उपलब्ध आवंटन अथवा आनेवाले नये आवंटन से कार्यो की संख्या, कार्यो के नाम में परिवर्तन एवं प्रस्तावित कार्यो को परिवर्तन करने का सम्पूर्ण अधिकार विभाग के पास रहेगा।
- उक्त निविदाओं के निविदा प्रपत्र को वेब साईट पर ऑनलाईन क्रय करने की अंतिम तिथि 02.02.2026 -समय सांय 6.00 बजे तक निर्धारित है। (Tender Document) वेबसाईट https://mptenders.gov.in के माध्यम से क्रय किया जावेगा।
- निविदा की शर्ते वेबसाईट https://mptenders.gov.in या सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, झाबुआ के कार्यालय मे देखी जा सकती है।
- समस्त निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम दिवस की प्रतीक्षा न करे। शीघ्रताशीघ्र बिड जमा करे। वेबसाईट मे किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
- वित्तीय प्रस्ताव किसी भी स्थिति मे ऑफलाईन (हार्ड कॉपी मे) मान्य नही होगा। यदि वित्तीय प्रस्ताव मोहरबंद लिफाफे मे या किसी भी प्रकार से ऑफलाईन दिया गया तो वह बिड अमान्य कर दी जावेगी।
- उक्त निविदा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये जोनल निविदा है इसलिये समय-समय पर उपलब्ध आवंटन के आधार पर कार्य कराये जावेगें। निविदा में दर्शित राशि अनुमानित राशि है कार्यो की मात्रा एवं राशि कम या ज्यादा हो सकती है एवं कार्य का प्रकार भी बदला जा सकता है। ठेकेदार की कार्य क्षमता के आधार पर मुल्यांकन किया जाकर कार्यो में कमी या बढोतरी की जावेगी। जिसे ठेकेदार द्वारा स्वीकृत दर पर पूर्ण किया जाना होगा। इस पर ठेकेदार का किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

G24876/25

सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग, झाबुआ

अपने व्यापार को दें नई ऊंचाइयां
नवभारत के माध्यम से

In The Court Of I Civil Judge Class- I, Itarsi District Court, Hoshangabad
Presiding Officer: श्री सुर्यपाल सिंह राठौर
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)
(RCS A /0000028/2022)
उमाशंकर चौबे ....वादी
Vs
रविशंकर चौबे ....प्रतिवादी
Process Id-/2026
पेशी दिनांक - 23/02/2026

प्रेषिती- (1) विद्या शर्मा पति राजेन्द्र शर्मा पता - निवासी सूर्यदेव नगर इंदौर तहसील व जिला इंदौर मध्यप्रदेश.

यह कि प्रार्थी उमाशंकर चौबे ने आपके विरूद्ध वाद पत्र अंतर्गत धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के लिये वाद संस्थित किया है. आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 23 January 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

न्यायालय की मुद्रा

न्यायाधीश
सूर्यपाल सिंह राठौर
प्रथम सिविल जज, सीनियर डिवीजन
इटारसी जिला नर्मदापुरम म.प्र.

टिप्पणी:-- वाद पत्र अंतर्गत धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम.
कृपया ध्यान दें - 1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

न्यायालय श्रीमती निर्मला वास्कले
चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड इंदौर (म.प्र.)

प्र.क्र.एम.जे. सी.एस.यू.सी.- 261/2025
कृष्णकुमार पाठक वि. सर्वसाधारण व अन्य
जावक क्र.- 19 दिनांक 15.01.2026
प्रेषिती- पेशी दि॰ - 20॰02॰2026
1. सर्वसाधारण

प्रकाशन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक क्र. 01. कृष्णकुमार पाठक पिता स्व. सुरेश कुमार पाठक, 02. मनोज पाठक पिता स्व. सुरेश कुमार पाठक, 03. नमिता पाठक पिता स्व. सुरेश कुमार पाठक, 04. श्रीमती विजयालक्ष्मी पाठक पति स्व. सुरेश कुमार पाठक सभी निवासीगण-336, बजरंग नगर पानी की टंकी के पास इंदौर म.प्र. ने मृतक स्व. श्री प्रेमनारायणजी पाठक पिता स्व. श्री भगवानदीन पाठक द्वारा छोड़ी गई संपत्ति हेतु उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक / संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 20.02.2026 को नियत है। यदि किसी व्यक्ति को प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक / संरक्षक होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 20.02.2026 को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें। सूचना उपरांत यदि अनुपस्थित रहें तो प्रकरण की सुनवायी एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। यह आज तारीख 15.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

न्यायालय की मुद्रा
न्यायाधीश
श्रीमती निर्मला वास्कले
चौदहवे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड इंदौर (म.प्र.)

IDBI BANK

वी.के. प्लाजा, सी 25/2, महाकाल वाणिज्य केन्द्र, कोसमोस माल रोड के सामने, नानाखेड़ा, उज्जैन - 456001
फोन नं.: 0734-2550052, मोबाईल: 96443 66650, 99607 14961

नियम 8 (1) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि,
अधोहस्ताक्षरकर्ता आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्न निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का नियम 54) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **श्री सुरज पंवार (उधारकर्ता एवं बंधककर्ता)** को **दिनांक 29.09.2025** को एक मांग नोटिस जारी किया एवं नोटिस में वर्णित **राशि रुपये 33,48,827.47 (रु. तैतीस लाख अड़तालिस हजार आठ सो सत्ताईस एवं सैतालिस पैसे मात्र)** एवं दिनांक 10.07.2025 से उस पर देय ब्याज एवं अन्य खर्च बैंक की नीति के अनुसार नोटिस दिनांक से 60 दिन की समयावधि में भुगतान करने हेतु नोटिस दिया था।
चूंकि उक्त उधारकर्ता एवं बंधककर्ता उल्लेखित राशि अदा करने में असफल रहे है, अत: उधारकर्ता एवं बंधककर्ता को विशेष रुप से एवं जनता को सामान्य रुप से सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमवली, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 13 की उप-धारा (4) में निहित अधिकारों के प्रत्यायोजन स्वरुप नीचे उल्लेखित संपत्ति पर **दिनांक 22 जनवरी, 2026** को कब्जा (सांकेतिक) ले लिया है।
उधारकर्ता एवं बंधककर्ता को विशेष रुप से एवं आम जनता को सामान्य रुप से एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि अब इस संपत्ति पर कोई व्यवहार नहीं करें तथा इस संपत्ति पर किया गया कोई भी व्यवहार **राशि रुपये 33,48,827.47 (रु. तैतीस लाख अड़तालिस हजार आठ सो सत्ताईस एवं सैतालिस पैसे मात्र)** की राशि तथा उस पर ब्याज एवं अन्य खर्चे बाबत् **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा। उधारकर्ता एवं बंधककर्ता को एक्ट की धारा 13 की उपधरा 8 के प्रावधानों के अन्तर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मोचन में उपलब्ध समय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्तियों का विवरण

संपत्ति के सभी प्रमुख अंग मकान नं. 38, एमआईजी-एसआर, एकलव्य परिसर, राम सिंह की चौकी, वार्ड नं. 01, तहसील एवं जिला अलिराजपुर (म.प्र.) 457887 पर स्थित अचल संपत्तियों में शामिल एवं उसका हिस्सा बनने वाली भूमि, **क्षेत्रफल: 135 वर्गमीटर, चर्तु:सीमा: उत्तर:** मकान नं. एमआईजी-39, **दक्षिण:** मकान नं. एमआईजी-37, **पूर्व:** मकान नं. एमआईजी-33, **पश्चिम:** 7.50 मीटर सड़क, पृथ्वी से जुड़ी हुई या पृथ्वी से जुड़ी हुई किसी भी चीज से स्थाई रुप से जुड़ी हुई सभी ईमारतों एवं संरचनाओं एवं सभी संयंत्र एवं मशीनरी के साथ।

स्थान : उज्जैन
दिनांक: 28.01.2026

प्राधिकृत अधिकारी,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड